निगरानी /एलआर/5364/2006/ बांरा
बलराम बनाम श्रीमती कमला बाई

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>06.1.2026</td><td>

एकल–पीठ

श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :

श्री शैलेन्द्र राणा, अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण

आदेश

1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपील सं. 84/05 में पारित निर्णय दिनांक 2–8–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. उभय पक्ष की बहस राजीनामा दिनांक 25–11–25 पर सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 17–12–25 राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है तथा उभय पक्ष के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा तथा निगरानी को राजीनामें के आधार पर स्वीकार की जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार निगरानी का निस्तारण किये जाने में अपनी सहमति होना जाहिर किया है। अप्रार्थीगण ने राजीनामा दिनांक 17–12–25 प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया है कि वर्णित भूमि के बाबत एक वाद (निगरानी संख्या 5364/2006 बउनवान बलराम बनाम कमलाबाई) वर्तमान मे राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान मे वचाराधीन चल रहा है उक्त प्रकरण को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जावे इसमे हमे किसी प्रकार की आपत्ति व एतराज नही होंगा। जिसमे प्रतिवादी बलराम पुत्र कंचन जाति मीना निवासी खडिया तहसील छीपाबडौद जिला बांरा है । उक्त आराजियात के बाबत मुझ मुकिरा व मेरे वारिसान व बलराम पुत्र कंचन मीना निवासी खडिया के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है तथा उक्त राजीनामे के मुजब मुझ मुकिरा कमलाबाई पुत्री श्यामलाल पत्नी फुलचन्द जाति मीना निवासी देवरीभान ने मेरे भाईयो बालकिशन, रमेश, प्रेमनारायण, दीपसिंह पुत्र श्यामलाल जाति मीना निवासी बडनगर जिला गुना मध्य प्रदेश ने आपसी सहमति से राजी होकर राजीखुशी से बलराम पुत्र कंचन जाति मीना निवासी खडिया तहसील छीपाबडौद जिला बांरा राजस्थान से 750000/– रूपये अक्षरे सात लाख पचास हजार रूपये आज दिनांक 24–11–2025 को रूबरू गवाह के नकद प्राप्त कर लिये है और हमारे मध्य यह मुआयदा तय हुआ है कि अब उपरोक्त वर्णित वाके ग्राम देवरीभान की खाता संख्या 57 नया की खसरा नम्बर 41 रकबा 0.8175 हेक्टर खसरा नम्बर 42 रकबा 0.1457 हेक्टर, खसरा नंबर 45 रकबा 0.5666 हेक्टर कुल किता 3 कुल रक्या 1.5298 हेक्टर भूमि से मुझ मुकिरा व मेरे भाईयो का किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है

</td><td></td></tr>
</table>

तथा उक्त आराजी पर गत 35 वर्षों से लगातार बलराम पुत्र कंचन जाति मीना निवासी खडिया का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा खातेदार भी वही है और भविष्य मे भी बलराम व उनके वारिसान ही खातेदार व काबिज रहेंगे इसमे मुझे व मेरे भाईयो व वारिसान को किसी प्रकार की आपत्ति व एतराज करने का हक व अधिकार नहीं है। अब हमारे मध्य किसी प्रकार का कोई लेना देना शेष नही रहा है तथा मैं वचन देती हूँ कि उक्त आराजियात के बाबत जो वाद राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान न्यायालय मे विचाराधीन चल रहा है उसे खारिज करवा दूंगी और खारिज की नकल बलराम जी को संभला कर स्टे वगैरह हटवा देंगे। इसमे हम हमारी पूर्ण सहमति प्रदान करते है। ऐसी स्थिति में निगरानी के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना निगरानी जरिये राजीनामा स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा का निर्णय दिनांक 2–8–06 व न्यायालय उपखंड अधिकारी छबडा का निर्णय दिनांक 19–5–05 निरस्त किया जाता है।

3. अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश प्रति एवं राजीनामा की प्रति के साथ लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य